"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2016—फाल्गुन 28, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक एफ 4-2/2014/एक (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 18 जनवरी, 2016 से 21 जनवरी, 2016 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित Commuted Leave एवं अवकाश पूर्व (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी, 2016 शनिवार एवं रविवार छुट्टी) का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2016

क्रमांक एफ 4-2/2014/एक (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जनवरी, 2016 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 05 अक्टूबर से 08 अक्टूबर 2015 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित स्वीकृत अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् (शनिवार एवं रविवार छुट्टी) सार्वजनिक अवकाश को "निरस्त" करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 1-03/2010/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से. (1983), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) छत्तीसगढ़, रायपुर (कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर) के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 3-47/2014/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जल सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/तह/जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	क्षेत्र का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-अलनार, तहसील-लोहंडीगुड़ा जिला-जगदलपुर	थाना-तहसील-लोहंडीगुड़ा जिला-जगदलपुर	अलनार	10
	—,,—	—,—	नेगानार	13
	—,,—	—,—	साडरा	10
	—,,—	—,—	गड़दा	10
	—,,—	—,—	मिचनार	10
	—,,—	—,—	इरिकपाल	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	थाना-अलनार, तहसील-लोहंडीगुड़ा जिला-जगदलपुर	थाना-मारडुम, तहसील-लोहंडीगुड़ा जिला-जगदलपुर	एरमुर	08
	—,,—	—,—	आंजर	08
	—,,—	—,—	बड़े गुमियापाल	09
	—,,—	—,—	तोयर	09
	—,,—	—,—	सुरगुड़ा	09
2.	थाना-उरन्दाबेड़ा, तहसील-फरसगांव जिला-कोण्डागांव	थाना-बड़ेडोगर, तहसील-फरसगांव जिला-कोण्डागांव	उरंदाबेड़ा	09
	—,,—	—,—	नेट	09
	—,,—	—,—	खमारी	09
	—,,—	—,—	आमगांव	09
	—,,—	—,—	कोलेंगा	09
	—,,—	—,—	कुलानार	09
	—,,—	—,—	मोदे	07
	—,,—	—,—	मोदेबेड़मा	07
	—,,—	—,—	कन्हारगांव	07
	—,,—	—,—	छिन्दलीबेड़ा	05
	—,,—	—,—	कोकोड़ाजुगानार	07
	—,,—	—,—	बड़गई	08
	—,,—	—,—	मिसरी	11
	—,,—	—,—	बारदा	08
	—,,—	—,—	भोंगापाल	12
	—,,—	—,—	आदवाल	11
	—,,—	—,—	झांकरी	11
	—,,—	—,—	कसई फरसगांव	12
	—,,—	—,—	आलमेर	13
3.	थाना-पुंगारपाल, तहसील-कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव	थाना-मर्दापाल, तहसील-कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव	पुंगारपाल	38
	—,,—	—,—	मटवाल	38
	—,,—	—,—	पदनार	40
	—,,—	—,—	टेकापाल	38
	—,,—	—,—	कुदूर	38
	—,,—	—,—	हान्दापाल	37
	—,,—	—,—	मरकामपाल	37
	—,,—	—,—	तुमडीवाल	38
	—,,—	—,—	एरण्डवाल	37
	—,,—	—,—	राकसमेटा	38
	—,,—	—,—	मंगवाल	38
	—,,—	—,—	एहकली	37
	—,,—	—,—	मालम	38
4.	थाना-भरण्डा, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	थाना-कोहकामेटा, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	भरण्डा	03
	—,,—	—,—	खैराभाट	01
	—,,—	—,—	खोडगांव	03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	थाना-भरण्डा, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	थाना-कोहकामेटा, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	खडकागांव	01
	—,,—	—,—	परलभाट	01
	—,,—	—,—	अंजरेल	01
	—,,—	—,—	बिंजली	01
	—,,—	—,—	केरलापाल	01
	—,,—	—,—	तेलसी	02
	—,,—	—,—	गुरिया	03
	—,,—	—,—	करलखा चिलपरस	03
	—,,—	—,—	मर्देल	03
	—,,—	—,—	कनेरा	03
5.	थाना-एड़का, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	थाना-सोनपुर, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	एड़का	अनसर्वेड
	—,,—	—,—	इरको	04
	—,,—	—,—	कानागांव	04
	—,,—	—,—	बोरपाल	04
	—,,—	—,—	खुड़पई	05
	—,,—	—,—	खड़कागांव	05
	—,,—	—,—	पुंगारपाल	05
	—,,—	—,—	आमासरा	05
	—,,—	—,—	ताड़ोपाल	05
	—,,—	—,—	महका खुर्द	05
	—,,—	—,—	कस्तुरवाड़	05
	—,,—	—,—	तेरदूल	05
	—,,—	—,—	ललसुहनार	11
	—,,—	—,—	छोटेसुहनार	11
6.	थाना-कुकड़ाझोर, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	थाना-आकाबेड़ा, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	कुकड़ाझोर	14
	—,,—	—,—	कोडकानार	15
	—,,—	—,—	गोटाजमरी	16
	—,,—	—,—	बड़ेजमरी	15
	—,,—	—,—	कोचवाही	15
	—,,—	—,—	बेलगांव	14
	—,,—	—,—	बकुलवाही	14
	—,,—	—,—	बम्हनी	13
	—,,—	—,—	सीतापाल	14
	—,,—	—,—	कसावाही	अनसर्वेड
	—,,—	—,—	मेटाडोगरी	अनसर्वेड
	—,,—	—,—	गुटापारा	अनसर्वेड
	—,,—	—,—	ताड़नार	अनसर्वेड
	—,,—	—,—	ताडोनार	16
	—,,—	—,—	करकानार	16
	—,,—	—,—	बेरगांव	15
	—,,—	—,—	बोरण्ड	16
	—,,—	—,—	गुमियाबेड़ा	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	थाना-कुकड़ाझोर, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	थाना-आकाबेड़ा, तहसील-नारायणपुर जिला-नारायणपुर	कोडोली (नरिया)	16
7.	थाना-फुलबगड़ी, तहसील-सुकमा जिला-सुकमा	थाना-गादीराम, तहसील-सुकमा जिला-सुकमा	फुलबगड़ी	10
	—,,—	—,—	बोड़को	05
	—,,—	—,—	पलिया	05
	—,,—	—,—	गोदपल्ली	07
	—,,—	—,—	सिरसेट्टी	09
	—,,—	—,—	चिचोरगुड़ा	11
	—,,—	—,—	काननगुड़ा	11
	—,,—	—,—	बड़ेसेट्टी	08
		थाना-गादीराम, तहसील-कंआकोण्डा जिला-सुकमा	मुलेर	14
		थाना व तह.-जिला सुकमा	कुड़केल	16
	—,,—	—,—	पोंगाभेज्जी	09
	—,,—	—,—	कोयाबेकूर	10
	—,,—	—,—	गोलाबेकूर	17
	—,,—	—,—	चिकपाल	17
	—,,—	—,—	निलावरम	11
	—,,—	—,—	केरलापाल	17
8.	थाना-पुसपाल, तहसील-छिंदगढ़ जिला-सुकमा	थाना-तोंगपाल, तहसील-छिन्दगढ़ जिला-सुकमा	पुसपाल	17
	—,,—	—,—	किन्दरवाड़ा	17
	—,,—	—,—	तुमकपाल	18
	—,,—	—,—	नेतानार	18
	—,,—	—,—	तालनार	19
	—,,—	—,—	कवासीरास	20
	—,,—	—,—	गुम्मा	19
	—,,—	—,—	सीतापाल	19
	—,,—	—,—	जंगमपाल	18
	—,,—	—,—	किकिरपाल	18
	—,,—	—,—	ओलेर	18
		थाना-तोंगपाल, तहसील-दरभा जिला-सुकमा	कोकावाड़ा	17
	—,,—	—,—	जंगरपाल	17
	—,,—	—,—	बालेरास	20
	—,,—	—,—	मुड़वाल	16
	—,,—	—,—	चितलनार	16
	—,,—	—,—	कुमाकोलेंग	16
	—,,—	—,—	कोडरीपाल	20
9.	थाना-नैमेड़, तहसील-भैरमगढ़ जिला-बीजापुर	थाना-जांगला, तहसील-भैरमगढ़ जिला-बीजापुर	नैमेड़	38
	—,,—	—,—	मिंगाचल	13
	—,,—	—,—	कुएनार	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-तह.-जिला-बीजापुर	एरमनार	40
	—,,—	—,—	दुगोली	40
	—,,—	—,—	कोड़ेपाल	38
	—,,—	—,—	कोमला	40
	—,,—	—,—	मोसला	36
	—,,—	—,—	कैक	36
	—,,—	—,—	घुमरा	36
	—,,—	—,—	कडेर	36
	—,,—	—,—	दुरधा	36
	—,,—	—,—	जपेली	36
	—,,—	—,—	मुसालूर	43
		थाना-कुटरु, तहसील-भैरमगढ़ जिला-बीजापुर.	तुमला	14
			गुदमा	08
10.	थाना-ईलमिड़ी, तहसील-उसूर जिला-बीजापुर	थाना-आवापल्ली, तहसील-उसूर जिला-बीजापुर	ईलमिड़ी	22
	—,,—	—,—	जिनिप्पा	22
	—,,—	—,—	आईपेन्टा	22
	—,,—	—,—	एड़पल्ली	21
	—,,—	—,—	मुजालकांकेर	21
	—,,—	—,—	सेमलडोडी	24
	—,,—	—,—	कन्हईगुड़ा	03
	—,,—	—,—	लंकापल्ली	22
	—,,—	—,—	भडारपाल	20
11.	चौकी-जोब थाना-छुरिया तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव	चौकी-आमगांव, थाना-छुरिया तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव	जोब	13
	—,,—	—,—	आमगांव	15
	—,,—	—,—	नादियखुर्द	14
	—,,—	—,—	मोहगांव	15
	—,,—	—,—	मरकाकसा	13
	—,,—	—,—	पडरापानी	13
	—,,—	—,—	विचारपुर	13
	—,,—	—,—	बेंदाड़ी	14
	—,,—	—,—	खेडेपार	14
	—,,—	—,—	मालडोंगरी	14
	—,,—	—,—	झाड़ीखैरी	14
	—,,—	—,—	बिजेपार	14
	—,,—	—,—	बखरुटोला	14
	—,,—	—,—	गेरुघाट	14
	—,,—	—,—	आटरा	19
	—,,—	—,—	भकुर्रा	19
	—,,—	—,—	दामाबंजारी	19
	—,,—	—,—	दुर्रेबंजारी	19
	—,,—	—,—	कल्लुटोला	19
	—,,—	—,—	हाटबंजारी	19
	—,,—	—,—	भर्रीटोला	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	चौकी-फगुरम (भदरी चौक) तहसील-मालखरौदा जिला-जांजगीर-चांपा	थाना-डभरा, तहसील-डभरा जिला-जांजगीर-चांपा	केकराभाठ	04
	—,,—	—,—	बांधापाली	04
	—,,—	—,—	उच्चपिंडा	04
	—,,—	—,—	धोबनीपाली	05
	—,,—	—,—	घिवरा	05
	—,,—	—,—	देवरघरा	05
	—,,—	—,—	बरतुंगा	06
	—,,—	—,—	लटियाडीह	07
	—,,—	—,—	कुसमुल	07
	—,,—	—,—	कान्हाकोट	05
	—,,—	—,—	सुखदा	06
	—,,—	थाना-मालखरौदा, तहसील-डभरा जिला-जांजगीर-चांपा	फगुरम	09
	—,,—	—,—	तौलीपाली	09
	—,,—	—,—	झर्रा	09
	—,,—	—,—	भांठा	10
	—,,—	—,—	सपिया	09
	—,,—	—,—	कुल्बा	10
	—,,—	—,—	कुधरी	10
	—,,—	—,—	बोड़ासागर	10
	—,,—	—,—	सेरो	10
	—,,—	—,—	सारसकेला	10
	—,,—	—,—	बड़ेमुड़पार	10
	—,,—	—,—	तुलसीडीह	10
13.	थाना-सलिहा, तह.-बिलाईगढ़ जिला-ब/बाजार, भाटापारा	थाना-धनसीर, तह.-बिलाईगढ़ जिला-ब/बाजार, भाटापारा	सलिहा	09
	—,,—	—,—	धनसीर	08
	—,,—	—,—	परसापाली	09
	—,,—	—,—	बोड़ा	19
	—,,—	—,—	बघमल्ला	10
	—,,—	—,—	बोड़ाडीह	19
	—,,—	—,—	जोगीडीपा	08
	—,,—	—,—	मलुहा	09
	—,,—	—,—	पिरदा	10
	—,,—	—,—	टेंगनाकछार	08
	—,,—	—,—	सुरगुली	09
	—,,—	—,—	सिरमाल	09
	—,,—	—,—	चंदलीडीह	-
	—,,—	—,—	धौराभाठा	09
	—,,—	—,—	गारडीह	-
	—,,—	—,—	कुशगढ़	26
	—,,—	—,—	कुशभाठा	26
	—,,—	—,—	छाता	23
	—,,—	—,—	थरगांव	26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	थाना-सलिहा, तह.-बिलाईगढ़ जिला-ब/बाजार, भाटापारा	थाना-धनसीर, तह.-बिलाईगढ़ जिला-ब/बाजार, भाटापारा	बिलारी	23
	—,,—	—,—	खैरा	45
	—,,—	—,—	कलमीदादर	23
	—,,—	—,—	कौहाजुनवानी	23
	—,,—	—,—	कुरमाझर	23
	—,,—	—,—	निठोरा	23
	—,,—	—,—	नगरदा	26
	—,,—	—,—	बानीखार	23
	—,,—	—,—	बरपानी	-
	—,,—	—,—	मानदीप	26
	—,,—	—,—	भानपुर	26
	—,,—	—,—	गनथारी	23
	—,,—	—,—	सोनपुर	26

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/402/1384/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. के. भेड़िया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 04-12-2015 से दिनांक 15-12-2015 तक कुल (12 दिवस) तक लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. भेड़िया आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. श्री आर. के. भेड़िया को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भेड़िया अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बिलासपुर के गनियारी निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक 812/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/01.—छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्र. 3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3843/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, रायपुर, दिनांक 31-05-2010 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है :—

स. क्र. (1)	उपयोग का प्रकार (2)	विशेष विवरण (3)	जल-दर (4)
1.	औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	**अ शासकीय स्रोत :—**	
		1 बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से....	
		(i) विभागीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से....	रु. 10.50 प्रति घ.मी.
		(ii) संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...	रु. 5.50 प्रति घ.मी.
		2 नहर प्रणाली से	रु1 12.25 प्रति घ.मी.
		ब नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से......	रु. 3.51 प्रति घ.मी.
2.	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति)	**अ शासकीय स्रोत :—**	
		1. बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से....	रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस.
(क)	25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परि.	2. नहर प्रणाली से	रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस.
		ब नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से......	रु. 0.35 (पैंतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर
(ख)	25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें.	शासकीय/नैसर्गिक/स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्रोत से	रु. 0.06 (छः पैसे)

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 24-02-2016) से प्रभावशील रहेंगी.

3. औद्योगिक प्रयोजन में भू-जल उपयोग की जल-दर, नैसर्गिक स्रोत की जल-दर से 25% अधिक होगी.

4. जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा.

5. उपरोक्त तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्र.-3 के बिन्दु क्र.-(ii) अंतर्गत कॉलम क्र.-4 में प्रस्तावित जल-दर रु. 5.50 प्रति घन मीटर का लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा एवं यह जल-दर तब तक ही लागू रहेंगी जब तक संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन न हो जाये. इस प्रकार समायोजन पश्चात् संबंधित प्रकरण में तालिका के स. क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.- 1 (i) अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रु. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 8 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	बगीचा	लरंगा प.ह.नं. 10	1.442	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	मैना लरंगा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./01/अ-82/वर्ष 2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-जड़जड़ा, प.ह.नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	74	0.04
	88	0.08
	100	0.06
योग	3	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सरईभदर-जड़जड़ा-गरियाबंद मार्ग में सोढूर नदी पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष 2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-काजनसरा, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	163	0.56
	181	0.80
योग	2	1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मारागांव-काजनसरा-गरियाबंद मार्ग के कि.मी. 1/2 में सोढूर नदी पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230	0.162
योग	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिसुनपुर से ओडगी मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 35/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नुनेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.408 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
282	0.072
1492	0.121
1494	0.040
1331/1	0.038
1332	0.024
283	0.036
1472	0.113
1495	0.040
1331/2	0.038
1343/2	0.032
285/1	0.016
1481/1	0.032
1497/1	0.065
1347	0.040
1529/4	0.024
284/1	0.093
1481/5	0.032
1497/2	0.065
1343/1	0.032
284/2	0.004
1491	0.040
1499	0.016
1345	0.024
285/2	0.004
1490	0.032
1318	0.004
1344/1	0.057
286	0.105
1493	0.097
1324	0.032

	(1)	(2)
	1346	0.040
योग		1.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिसुनपुर से ओडगी मार्ग सड़क चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 26 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	427/3	0.09
योग		0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांगो बांध हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 26 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-परसापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.184 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	653	0.080
	631	0.020
	607/1	0.004
	607/2	0.020
	652	0.010
	606	0.050
योग		0.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांगो बांध हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुटेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	82	0.11
योग		0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिद्या एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-मल्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.23 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	318/2	0.06
	321/1	0.13
	327/2	0.03
	326/1	0.03
	353/1	0.02
	243	1.60
	244/1	0.51
	244/2	0.51
	245	1.70
	246/1	0.68
	246/2	0.78
	283/1	0.06
	283/2	0.06
	283/3	0.06
योग	14	6.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरबांधा जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 22/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-चौहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	61/22	0.02
	61/23	0.03
	67/4	0.04
	76	0.04
	79/3	0.09
	74/3	0.05
योग		0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चौहा जलाशय योजना के डूबान बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 28/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-दलदली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.04 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	111/3, 111/6	0.15
	222/8	0.10
	223/1	0.18
	221/1	0.21
	221/7	0.27
	220/1, 220/3, 220/4	0.21
	219/7	0.20
	209	0.02
	144/20	0.06
	144/21	0.06
	144/34	0.23
	144/36	0.38
	144/35	0.12
	144/33	0.36
	144/27	0.13
	144/39	0.12
	144/41	0.08
	211/1, 219/2	0.16
योग	18	3.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दलदली व्यपवर्तन योजना बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

प्र. क्रमांक 26/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री, प.ह.नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/2	0.024
योग	1	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जांजगीर-केरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 29 फरवरी 2016

क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बेमेतरा

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-बावाघठोली, प.ह.नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	524	0.06
योग		0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पौंसरी स्टाप डेम कम रपटा में प्रभावित हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 29 फरवरी 2016

क्रमांक 05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बेमेतरा

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-नगधा, प.ह.नं. 25/41

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	732	0.20
	744	0.21
योग		0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसदा जलाशय में प्रभावित हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 29 फरवरी 2016

क्रमांक 15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खटई, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.70 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24	0.19
26	0.63
34	0.14
35/2	0.53
25	0.73
27	0.95
35/1	0.53
योग	3.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोढ़ीकला जलाशय के डूबान में प्रभावित हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 29 फरवरी 2016

क्रमांक 16/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ढेंगाभाट, प.ह.नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48/1	0.06
48/2	0.07
48/3	0.01
49/1	0.01
45/1	0.04
46	0.05
115/3	0.05
115/2	0.08
116	0.13
117	0.05
120	0.03
121/3	0.03
124	0.06
योग	0.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प व्यपवर्तन के अन्तर्गत बैहरसरी माइनर नहर में प्रभावित हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्रमांक 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बेमेतरा
 (ख) तहसील-नवागढ़
 (ग) नगर/ग्राम-टोहड़ी-कांपा, प.ह.नं. 07
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	929	0.16
योग		0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांपा से लोहड़गिंया मार्ग में अर्जित हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्रमांक 18/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बेमेतरा
 (ख) तहसील-नवागढ़
 (ग) नगर/ग्राम-पौंसरी, प.ह.नं. 43
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	426	0.19
	430/1	0.19
	431	0.05
	433/2	0.08
	442	0.16
	427	0.12
	430/2	0.20
	433/1	0.11
	434	0.22
	457	0.02
योग		1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुलसी-पौंसरी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्च-स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्रमांक 19/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बेमेतरा
 (ख) तहसील-बेमेतरा
 (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प.ह.नं. 12
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	33/1	0.28
	33/3	0.02
योग		0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपाल-भैंना-सुरकी मार्ग पर हाफ नदी पर पुल मय पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शान्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/7456.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7800-7801, दिनांक 15-02-2013 द्वारा श्रीमति पुष्पा साहू, अतिरिक्त कलेक्टर जिला-बालोद, को कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला-बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

डिप्टी कलेक्टर बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1415 दिनांक 10-02-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बालोद में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री डी.एस.सोरी अपर कलेक्टर जिला-बालोद का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमति पुष्पा साहू, अतिरिक्त कलेक्टर जिला बालोद का स्थानांतरण हो जाने के कारण श्री डी. एस. सोरी, अपर कलेक्टर जिला-बालोद को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बालोद जिला-बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्रमांक/188/वि.यो./नग्रानि/15.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि लैलुंगा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक-एक प्रति कलेक्टर जिला रायगढ़, कार्यालय नगर पंचायत लैलुंगा (सभाकक्ष भवन) तथा कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ के कार्यालयों में दिनांक 30-12-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. लैलूंगा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

लैलुंगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भेलवाटोली, खम्हार एवं जामबहार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम जामबहार, रूडूकेला, पकरगांव, लैलुंगा एवं कुंजेरा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कुंजेरा एवं अंगेकेला ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अंगेकेला, कुंजेरा, लैलुंगा, झरन, खम्हार एवं भेलवाटोली की पश्चिमी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 188/TCP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Lailunga Planning Area has been prepared under sub-section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 30-12-2015 during office hours in the office of Collector Raigarh, Nagar Panchayat Lailunga (Sabha Kaksh Bhawan) and Deputy Director, Town & Country Planning Raigarh. The limit of the Lailunga Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Lailunga Planning Area

NORTH	:	Village-Bhelwatoli, Khamhar and upto the Northen Limit of Jambahar.
EAST	:	Village-Jambahar, Rudukela, Pakargaon, Lailunga and upto Eastern Limit of Kunjera.
SOUTH	:	Village-Kunjera and upto the Southern Limit of village Angekela.
WEST	:	Village-Angekela, Kunjera, Lailunga, Jharan, Khamhar and upto Western Limit of Bhelwatoli.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Deputy Director Town & Country Planning, Raigarh C. G. or Inspection site within a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Dy. Director Town & Country Planning Raigarh.

आर. एन. प्रसाद,
उप-संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्रमांक 66/दो-3-10/2005.—श्रीमति मीनाक्षी गोण्डाले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-02-2016 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.